

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 22/2025

GCMS No. : 2025/128

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		भंवरसिंह राजपुरोहित पुत्र सुल्तानसिंह मैसर्स माजीसा रसगुल्ला एवं मावा भण्डार इन्द्रा कॉलोनी रोड पाली

“प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006
विनियम 2011 एवं धारा 51”

उपस्थित :-

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।


:- निर्णय :-

दिनांक: 19/05/2025



प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।


प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 28.10.2024 को दौराने गश्त अप्रार्थी भंवरसिंह राजपुरोहित पुत्र सुल्तानसिंह मैसर्स माजीसा रसगुल्ला एवं मावा भण्डार, इन्द्रा कॉलोनी रोड पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। फर्म का निरीक्षण करने पर फर्म में रखे 08-10 पीपों में मीठा मावा रखा हुआ था, जो अप्रार्थी द्वारा आमजन को बेचने के लिए रखा गया हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया की मीठा मावा का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु ले रहा हूं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 02 किलो मीठा मावा वास्ते जांच


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

हेतु क्रय कर उसकी कीमत 300/-रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा मीठा मावा को चार बराबर भागो में बांटकर नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर-2786 लिखा एवं नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमूनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ले में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। वहां पर उपस्थित 4-5 व्यक्तियों को सरकारी गवाह बनने को कहा लेकिन कोई गवाह बनने को तैयार नहीं होने कि स्थिति में सरकारी गवाह भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा को बनया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म-6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई। नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमूने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया नमुना संख्या आर-2786 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1669/एक्ट/2024/1699 दिनांक 11.11.2024 के अनुसार Sub-Standards पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-standards मीठा मावा का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा भविष्य में समस्त मानकों की पालना करते हुये हर तरह से सावधानी बरती जायेगी। अप्रार्थी के यहां मीठा मावा का उत्पादन नहीं किया जाकर थोक विक्रेता से खरीद कर आमजन को विक्रय किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा मीठा मावा में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। अतः अप्रार्थी पर कम से कम शास्ति आरोपित कर प्रकरण निस्तारित करावें।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया।


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)



पत्रावली पर उपलब्ध मौला फर्न अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.10.2024 को अप्रार्थी की दुकान से भीठा मावा को वास्ते जांच हेतु कब्ज कर गियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-2788 अंकित कर सीलबद्ध किया गया। पत्रावली में संलग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमूने के संकेत में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर नमूने का दिवस, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की दुकान से वास्ते जांच लिये गये भीठा मावा नमूना कोड संख्या आर-2788 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्न से लिया गया भीठा मावा का नमूना अवमानक (Sub-standards) पाया गया जिसका अप्रार्थी द्वारा उत्पादन एवं विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लंघन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-standards) भीठा मावा का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 2,00,000/- अक्षरे दो लाख रुपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ बजरंग सिंह)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

